



KRISHI VIGYAN KENDRA-KOTPUTLI-BEHROR
DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION
SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY
JOBNER, JAIPUR (RAJASTHAN)



Lt. Col (Dr.) S.S. Shekhawat
Senior Scientist & Head

Email: pc.kvk.gonera@sknau.ac.in
Mobile No. 9408660365

No. KVK/KTP/2026/ **239**

Dated: **05.08.26**

सीमित निविदा

कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली पर नई प्राकृतिक खेती इकाई में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए **“पत्थर की रिटेनिंग वॉल के निर्माण हेतु”** सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 11.08.2026 को 12.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी और उसी दिन दोपहर 1.30 बजे खोली जाएंगी।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	परिमाण	अनुमानित लागत
1	पत्थर की रिटेनिंग वॉल का निर्माण (प्लास्टर सहित)	लंबाई – 40 फुट गहराई – 4 फुट (i) PCC-6'' 1:4:8 (ii) पत्थर की चिनाई (नींव) – 1.5 फीट (iii) पत्थर की चिनाई – सतह से ऊपर – 2 फीट चौड़ाई – 1 फुट	रुपये 26000/-

निविदा की नियम एवं शर्तें:-

1. इस कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
2. इस कार्य हेतु दीवार निर्माण में पत्थर, बजरी एवं सीमेंट का उपयोग किया जाना आवश्यक है जिसमें बजरी एवं सीमेंट का अनुपात क्रमशः 6:1 का रहेगा एवं प्लास्टर में अनुपात क्रमशः 4:1 का रहेगा।
3. संस्था के पास जी.एस.टी नंबर व पैन नंबर होना आवश्यक है।
4. संस्था को कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।
5. अधोहस्ताक्षरकर्ता निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।
6. सीमित निविदा प्रारूप प्रपत्र “अ” में भर कर जमा करवाये।

प्रतिलिपि:

1. वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. निदेशक, प्रसार शिक्षा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
3. CIMCA प्रभारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
4. रक्षित पत्रावली

सुपरी सिंद

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

सुपरी सिंद

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

सीमित निविदा प्रारूप एवं अन्य शर्तें:

प्रपत्र "अ"

क्र. सं.	कार्य का विवरण	परिमाण	अनुमानित लागत	लागत सभी कर सहित (रुपये)
1	पत्थर की रिटेनिंग वॉल का निर्माण प्लास्टर सहित	लंबाई - 40 फुट गहराई- 4 फुट (i) PCC-6'' 1:4:8 (ii) पत्थर की चिनाई (नींव)- 1.5 फीट (iii) पत्थर की चिनाई- सतह से ऊपर- 2 फीट चौड़ाई - 1 फुट	रुपये 26000 / -	

रिटेनिंग वॉल का निर्माण

- सीमित निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी।
- सीमित निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र "अ" में रिटेनिंग वॉल निर्माण हेतु निविदादाता अपनी दरें दर्शाए। कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा, कोटपूतली के प्रपत्र के प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
- सीमित निविदा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी, जिस पर "रिटेनिंग वॉल निर्माण के लिए सीमित निविदा" लिफाफे पर अंकित होना चाहिए।
- फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा संतोषप्रद होने की पुष्टि होने पर ही किया जाएगा।
- सीमित निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य आपूर्ति संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
- सीमित निविदादाता बोली प्रपत्र की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
- सीमित निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कांट छांट/ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए।
- निर्धारित समय में कार्य संपन्न नहीं करने/आपूर्ति नहीं करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार राशि वसूल की जाएगी। कार्य आदेश मिलने के 3 माह में कार्य को पूर्ण करना होगा। कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार भुगतान में से कटौती की जायेगी।
- भुगतान संबंधित निविदादाता को बैंक खाते में ऑनलाइन या चैक द्वारा सीधा ही किया जाएगा।
- सफल निविदादाता के समय पर सामान आपूर्ति नहीं करने पर या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म द्वारा हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा क्रय अन्य फर्म से कर सके तथा पिछले आपूर्ति किये सामान का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- बोली प्रपत्र दिनांक 11.08.2026 को प्रातः 12.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन दोपहर 1.30 बजे कमेटी के समक्ष खोले जायेंगे, देरी से प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- उपयुक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्त विभाग राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.01.2015 के प्रावधान लागू होंगे।
- किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान होगा।

अपूर्ण सिंह

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा, कोटपूतली

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को सावधानीपूर्व पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपयुक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर